

न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बहजलास ऑनलाइन याचक, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या -292/2022
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर -2022/380

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोंडेन्ट
कालू गौरी पुत्र अलादीन, उम्र 37 वर्ष जाति-तेली, निवासी नागौर		तहसीलदार, नागौर।

उपस्थिति:-

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री नरेन्द्र सारस्यत व श्री श्याम सारस्यत।
2. रेस्पोंडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

:: निर्णय ::

दिनांक :-13.09.2023

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 135/2022 सरकार बनाम कालू गौरी में पारित निर्णय दिनांक 10.08.2022 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र पर वकूलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.08.2022 को पारित किया गया था, जिसकी नकल हेतु अपीलान्ट ने दिनांक 12.08.2022 को आवेदन लगाया तथा अपीलाधीन निर्णय की प्रमाणित नकल अपीलान्ट को दिनांक 16.08.2022 को प्राप्त हुई। अपीलाधीन निर्णय की नकल मिलने में जो दिन का समय लगा वह समय मयाद में सम्मिलित नहीं है। इस प्रकार अपील अन्दर मयाद पेश है। फिर भी अपील की देरी माफ कर अपील अन्दर मयाद शुमार करने का निवेदन किया है। राजपैरोकार ने अपील मयाद बाहर होने का कथन करते हुए मयाद प्रार्थना पत्र मय अपील खारिज करने का निवेदन किया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, जिस पर विश्वास किया जाकर न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकूलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने बहस में कथन किया कि अपीलान्ट को तहसीलदार, नागौर द्वारा धारा 91 भू राजस्व अधिनियम का नोटिस भेज कर खसरा संख्या-592/906 वाके मौजा नागौर की भूमि पर अतिक्रमी माना, इस नोटिस का जवाब अपीलान्ट ने पेश किया। अपीलान्ट द्वारा जवाब पेश करने के बाद अपीलान्ट को ना तो साक्ष्य पेश करने व ना ही सबूत पेश करने का अवसर दिया गया एवं बिना साक्ष्य सबूत लिए तहसीलदार, नागौर द्वारा अपीलाधीन निर्णय अपीलान्ट के पीठ पीछे एकपक्षीय पारित किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

विद्वान वकील अपीलांट का यह भी कथन है कि अपीलाधीन निर्णय अवैध, विधि विरुद्ध, नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से अपास्त किए जाने योग्य है। वादग्रस्त भूमि जिसका नोटिस अपीलान्ट को दिया गया है वह भूमि अपीलान्ट की पत्नी मोबिना बानो द्वारा इस भूमि के पूर्व मालिक काबिज स्वामी मन्जूर अली से सन् 2009 में खरीद की थी तब से अपीलान्ट की पत्नी इस वादग्रस्त भूमि की मालिक स्वामी काबिज है तथा उससे पहले वादग्रस्त भूमि का मालिक स्वामी काबिज मन्जूर अली व उसके पिता नबी बगस था। वादग्रस्त भूमि कभी भी सरकारी या अन्य किसी किस्म की भूमि नहीं रही है बल्कि यह भूमि नगरपरिषद की आबादी की भूमि रही है।

वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट की पत्नी व पूर्व विक्रेताओं का मकान पिछले पचास से भी ज्यादा सालों से बना हुआ है, जिसमें कब्जा रहवास निवास लगातार रहता चला आया है। अपीलान्ट एवं उसकी पत्नी, अपीलान्ट की पत्नी के पूर्व विक्रेताओं की मतदाता सूची, राशनकार्ड, आधारकार्ड अन्य दस्तावेज इस जगह के बने हुए हैं। अपीलान्ट वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमी नहीं है।

अपीलान्ट तथा उसकी पत्नी के मकान में बिजली व पानी के कनेक्शन लिए हुए हैं। अपीलान्ट का मकान आबाद मोहल्ले के बीच आए हुए है और अपीलान्ट के मकान के चारों ओर



2
कलक्टर नागौर

सैकड़ो पक्के मकान बने हुए हैं, पूरा मोहल्ला बसा हुआ है तथा सरकार की तरफ से सड़के बिछाई हुई हैं, बिजली व पानी की लाईनें डाली जाकर पूरे मोहल्ले के घरों में पानी बिजली कनेक्शन दिए हुए हैं। एक तरफ सरकार वादग्रस्त भूमि पर सड़के बिछा रही हैं तथा बिजली पानी के कनेक्शन दिए हैं, कईयों के नाम नगरपरिषद से पट्टे भी जारी हुए हैं, दूसरी तरफ सरकार धारा 91 के नोटिस दे रही हैं जो न्यायोचित नहीं हैं। खसरा नम्बर 592/906 की 09 बीघा भूमि सरकारी कार्यालयों के लिए आवंटित हुई हैं शेष भूमि कब्जाधारियों के नाम किए जाने के सम्बन्ध में न्यायालय राजस्व मण्डल,अजमेर द्वारा आदेश जारी किये हुए हैं। पूर्व में भी अपीलान्त एवं उसकी पत्नी के पूर्व विक्रेता तथा मोहल्लेवासियों के विरुद्ध आज से लगभग तीस चालीस साल पहले नोटिस दिए गए जो नोटिस अपीलैंट न्यायालयों द्वारा निरस्त किए गए तब से उसके बाद कभी धारा 91 की कार्यवाही नहीं की गई। अब वर्षों बाद गलत नोटिस दिया गया है।

अपीलान्त गरीब मजदूर किस्म के व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी जिन्दगी की गाढी कमाई के एक-एक पैसा मकान में लगाया है, यदि बेदखली हुई तो अपीलान्त के साथ भारी अन्याय होगा।

इस भूमि के अलावा अपीलान्त के पास अन्य आवासीय भूमि नहीं है, सरकार यानि एस.डी.ओ. द्वारा अपीलान्त के पूर्व विक्रेता को भूमि रूपान्तरण के नोटिस भी जारी किए गए जिसकी पालना में अपीलान्त एवं उसके पूर्व विक्रेता ने राशि भी सरकार में जमा कराई है तथा भूमि रूपान्तरण का उक्त मामला आज भी विचाराधीन है। भूमि अपीलान्त के स्वामित्व की है अन्यथा भी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं, परिपत्रों व नियमों के आधार पर भी अपीलान्त वादग्रस्त भूमि अपने नाम नियमन कराने का हकदार है।

वादग्रस्त भूमि कभी भी सरकारी या किसी अन्य किस्म की भूमि नहीं रही है। वादग्रस्त भूमि में से 9 बीघा भूमि सरकारी कार्यालयों के लिए आरक्षित भूमि है। शेष सम्पूर्ण भूमि पर आबादी है और सैकड़ो रहवासी मकान के साथ पूरा मोहल्ला बसा हुआ है, जिसमें अप्रार्थी के मकानात भी हैं सन् 1989 व 1994 में धारा 91 की अपीलान्त के पूर्व विक्रेताओं व अन्यो द्वारा अपीलें पेश करने पर माननीय राजस्व मण्डल,अजमेर ने धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के नोटिस व उसमें पारित अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय को अपास्त कर राजकीय कार्यालयों के लिए आरक्षित नौ बीघा भूमि के अलावा शेष भूमि पर कब्जों को रूपान्तरण लायक मामले मानते हुए निर्णय पारित किए थे। राजस्व मण्डल,अजमेर के वे निर्णय अंतिम हो गए तथा उन निर्णयों को सरकार द्वारा कहीं चुनौती नहीं दी गई और न उन निर्णयों की पालना की गई। अब तीस साल बाद पुनः नए सिरे से नोटिस देना अपने आप में अवैध और विधि विरुद्ध है।

वादग्रस्त भूमि नगरपरिषद,नागौर की परिधि में है और नगरपरिषद के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण तहसीलदार,नागौर को भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। नगरपरिषद,नागौर ने कभी भी अपीलान्त को वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमी नहीं माना है जिससे भी स्पष्ट है कि अपीलान्त वादग्रस्त भूमि के अतिक्रमी नहीं है। वादग्रस्त भूमि अपीलान्त की पत्नी के नाम होने से अपीलान्त को नोटिस नहीं दिया जा सकता है। नोटिस गलत दिया गया है, का कथन करते हुए वकील अपीलान्त ने तहसीलदार,नागौर द्वारा दिनांक 10.08.2022 को प्रकरण संख्या 135/2022 में पारित आदेश को अपास्त करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार ने बहस में कथन किया। अपीलान्त द्वारा खसरा नम्बर 592/906 किस्म गैर मुमकिन अंगोर की 630 वर्गफीट भूमि पर पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण करने की पटवारी नागौर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसके क्रम में अपीलान्त के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया, जिसमें अपीलान्त के अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर जबाब प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार,नागौर द्वारा निर्णय जैर अपील पारित किया है, जो सही व उचित है। अपीलान्त द्वारा जो भूमि जरिये एग्रीमेन्ट कय करना बताया है, वह भूमि किस खसरा नम्बर की है, यह स्पष्ट नहीं किया है। जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार विवादग्रस्त भूमि ग्राम नागौर के खसरा नम्बर 592/906 की भूमि है, जिसकी किस्म गै.मु. अंगोर दर्ज है, जिसका किसी भी अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग व उपभोग नहीं किया जा सकता है। अपीलान्त का अंगोर किस्म की भूमि पर कब्जा किसी भी प्रकार से वैध नहीं होने का कथन करते हुए अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

वकूलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलान्त द्वारा ग्राम नागौर के खसरा नम्बर 592/906 किस्म गैर मुमकिन अंगोर की 630 वर्गफीट भूमि पर अपीलान्त द्वारा पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण करने की पटवारी, नागौर व भू-अभिलेख निरीक्षक, नागौर द्वारा सत्यापित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसके क्रम में अधीनस्थ



राजस्व अपील संख्या-292 / 2022
कालू गौरी बनाम राज.सरकार जरिये तहसीलदार नागौर

न्यायालय तहसीलदार, नागौर द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। इस प्रकरण में अपीलान्त के अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर जबाब प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नागौर द्वारा निर्णय जैर अपील पारित किया है। प्रकरण में अपीलान्त द्वारा जो भूमि जरिये एग्रीमेन्ट कय करना बताया है, वह भूमि किस खसरा नम्बर की है, यह स्पष्ट नहीं किया है। जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार विवादग्रस्त भूमि ग्राम नागौर के खसरा नम्बर 592/906 की भूमि है, जिसकी किस्म गै.मु. अंगोर दर्ज है, अंगोर किस्म की भूमि का किसी भी अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग व उपभोग नहीं किया जा सकता है। इसलिए अंगोर किस्म की भूमि पर अपीलान्त का कब्जा वैध नहीं ठहराया जा सकता है। वकील अपीलांत द्वारा प्रकरण मोहनीफ बनाम सरकार में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर के आदेश दिनांक 27.10.94 के अनुसार कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया है, इस सम्बन्ध में हमारा यह मत है कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी मोहनीफ के प्रकरण में आदेश जारी किये गये हैं, जो इस प्रकरण में लागू नहीं किये जा सकते हैं। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार एवं पत्रावली के अवलोकन से अपीलांत द्वारा खसरा नम्बर 592/906 गै0मु0 अंगोर की भूमि में 630 वर्ग मीटर भूमि पर पक्का मकान बनाकर नाजायज कब्जा कर अतिक्रमण किया है, जिसके विरुद्ध तहसीलदार, नागौर द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिपूर्वक है। गै0मु0 अंगोर भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष को कोई अधिकार न तो प्राप्त हुवे हैं एवं न ही हो सकते हैं तथा इस प्रकार की भूमि पर किया गया निर्माण अवैध है। इस प्रकार प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया।



2
(डॉ०अमित यादव)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर नागौर